(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

<u>सार्वजनिक सूचना सं. 58/2015–2020</u>
दिनांकः 24 फरवरी, 2023

विषयः व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम के तहत प्रभावित अतिरिक्त आयात को कवर करने हेतु अतिरिक्त शुल्क को भरने के लिए एककालिक छूट प्रदान करने के संबंध में।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 और पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत प्रयुक्त अतिरिक्त शुल्क उपयोग हेतु शुल्क को स्वीकार करने के संबंध में प्रक्रिया में एककालिक छूट प्रदान करते हैं:–

1. व्यापार करने में सुगमता हेतु ईओडीसी हेतु आवेदन करते समय संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रयुक्त अतिरिक्त शुल्क को कवर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क को भरने हेतु ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को अनुमति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक, 2015–20 के पैरा 5.16 (क) को संशोधित करने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 03 दिनांक 13.04.2022 को जारी किया गया था।

2. व्यापार करने में सुगमता को सुविधाजनक बनाने हेतु ईओडीसी का आवेदन करते समय विदेश व्यापार नीति 2009–14 (31.03.2015 तक बढ़ाई गई) के तहत जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों हेतु प्रयुक्त अतिरिक्त शुल्क को कवर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क को भरने के लिए प्राधिकार पत्र धारक को अनुमत करने हेतु आरए को अनुमति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है बशर्ते कि प्रयुक्त अतिरिक्त शुल्क प्राधिकार पत्र के बचाए गए मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः विदेश व्यापार नीति (2009–14) (दिनांक 31.03.2015 तक बढ़ाई गई) के तहत जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों में प्रयुक्त अतिरिक्त शुल्क को कवर करने हेतु एककालिक छूट प्रदान की गई है।

संतोष कुमार सारंगी
24.2.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 18/79/एएम–21/पी–5 से जारी)